

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा/बैठक/2011/ 2943

दिनांक : 9.9.2011

:- कार्यालय आदेश :-

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखा कर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 16-09-2011 को मध्याह्न पूर्व 11:00 बजे वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। समस्त सहायक लेखाधिकारी नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना अपने साथ लेकर आयेगें :-

1. बकाया दावों का निस्तारण :- बजट घोषणा के क्रम में वित्त विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में बकाया दायित्वों को दिनांक 16.08.2011 से 15.11.2011 तक विशेष अभियान चलाया जाकर निपटाया जाना है। इस क्रम में प्रथम मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्र में बैठक में साथ लावें।
2. महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनाएं 12.08.2011 की बैठक में उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार एवं इसके अतिरिक्त और भी प्रथम अनुपालनाएं बकाया हो प्राप्त कर साथ लावें।
3. मासिक व्यय मानचित्र - माह अगस्त, 2011 तक के समस्त मदों (आ.भि./आयोजना/सीएसएस) के साथ में लावें।
4. जोन कार्यालयों द्वारा प्रपत्र 1 से 8 तक की मासिक सूचना जोन स्तर पर इकजाई कर बैठक में उपलब्ध करायी जावें।
5. दिनांक 31.03.2011 तक स्टॉक एवं स्टोर लेखें जोन स्तर पर समेकित कर दिनांक 30.08.11 तक भिजवाये जाने थे जिन जोन कार्यालयों द्वारा अभी तक नहीं भिजवाये हैं, बैठक में साथ लावें।
6. विभागकेपत्रांक प.4()लेखा/बीएनपी/2011/1354 दिनांक 29.06.11 द्वारा स्वीकृत पदों एवं वाहनों की वांछित सूचना आपके जिले के समस्त कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, यह सुनिश्चित करें। संयुक्त निदेशक, जोधपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर, बांसवाड़ा, बांरा, राजसमन्द, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर, नाथद्वारा, सोजतसिटी, शाहपुरा (भीलवाड़ा) फलौदी (जोधपुर), सैटेलाईट अस्पताल, अजमेर कार्यालयों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः इनकी सूचना अपने साथ आवश्यक रूप से लेकर आवें। पूर्व में जिन कार्यालयों द्वारा सूचना अप्रमाणित प्रस्तुत की गई है, उन सूचनाओं को सक्षम स्तर से प्रमाणित करा बजट अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित संयुक्त निदेशक यह भी सुनिश्चित करलें कि उनके जोन से सम्बन्धित टीबी क्लिनिक, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, औषधि नियंत्रक अधिकारी कार्यालयों की उक्त सूचनाएं भिजवा दी गई है।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा/बैठक/2011/ 2943

दिनांक : 9.9.2011

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति० निदेशक, (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा०)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्यण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
8. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन.....
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
11. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर, रूम (सु.) कृपया इस आदेश को विभाग की वेब-साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
13. केयर टेकर, कृपया दिनांक 16/09/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आंरक्षित करें।
14. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर